

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,

मानद विश्वविद्यालय,

जयपुर ।

क्रमांक : 1(35)/शैक्षणिक/पीएच.डी./2021-22/1730-35

दिनांक 21-05-2021

कार्यालय-आदेश

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) द्वारा गठित समिति द्वारा UGC-NET/JRF/SLET/AYUSH-NET/CSIR-NET में सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों में से आयुर्वेद विद्या बारिधी (रिसर्व फेलोशिप) (पीएच.डी. इन आयुर्वेद) सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाईन साक्षात्कार दिनांक 19-05-2021 को सम्पन्न होने के उपरान्त गठित समिति द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त सूची के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन किया गया है :-

S. No.	NAME OF CANDIDATE	FATHER'S NAME	DEPARTMENT
01.	MEGHNA VAIDYA	SH. CHANDER PRAKASH VAIDYA	RASA SHASTRA AND BHAISHAJYA KALPANA
02.	MEENAKSHI PAL BAGHEL	SH. R.R. PAL	PRASUTI & STRI ROGA
03.	MANJULA	SH. KISHAN SINGH	DRAVYAGUNA

अतः उपरोक्त 03 अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 07-06-2021 तक चिकित्सालय उप-अधीक्षक महोदय के कक्ष में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे, उक्त परीक्षण में स्वस्थ पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रथम वर्ष का निर्धारित शुल्क (बिना हॉस्टल के राशि) रुपये 1,00,750/- (अक्षरे रुपये एक लाख सात सौ पचास मात्र) संस्थान के रोकपाल को जमा करावेंगे । अभ्यर्थी अपने योग्यता सम्बन्धित समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी साथ लावें एवं निर्धारित बॉम्ब फार्म शैक्षणिक शाखा से प्राप्त कर उसकी आवश्यक पूर्ति कर शैक्षणिक शाखा को जमा करने से पूर्व जमा करावेंगे जिन अभ्यर्थियों ने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये वे 15 दिवस की अवधि में शैक्षणिक शाखा में जमा करावे अन्यथा इस अवधि के पश्चात् स्वतः प्रवेश निरस्त माना जायेगा । शैक्षणिक सत्र दिनांक 07.06.2021 से बालू होगा । विभागाध्यक्ष महोदय एवं अध्वेता निम्न विन्दुओं का विशेष रूप से पालन करें ।

संस्थान मानद विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार "प्रवेश प्रक्रिया के पश्चात् पीएच.डी छात्र को न्यूनतम एक सेमेस्टर अवधि तक का पाठ्यक्रम कार्यक्रम करना होगा । यह पाठ्यक्रम कार्य पूर्व पीएच.डी. की तैयारी का माना जायेगा जिसमें अनुसंधान पद्धति, कम्प्यूटर प्रयोग तथा संबंधित विषयगत अनुसंधान की क्षमिका सम्मिलित हो । प्रवेश के एक माह के अन्तर्गत शोधार्थियों को Synopsis जमा करना अनिवार्य है । पीएच.डी. के अंगभूत इस सेमेस्टर के पूर्ण होने पर निर्देशक एवं विभागीय स्तर पर मुल्यांकन के पश्चात् सफलता प्राप्त शोधार्थियों का विश्वविद्यालय में पंजीयन हो सकेगा ।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश की सूचना सी.सी.आर.ए.एस. (CCRAS) को देनी होगी क्योंकि इन सब का स्टार्टिपेण्ड सी.सी.आर.ए.एस. के द्वारा संस्थान के माध्यम से देय होगा ।


यदि उक्त अवधि में उपर्युक्तानुसार कार्य नहीं हुआ तो शोधार्थी का स्टार्टिपेण्ड तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा एवं भुगतान किये गये स्टार्टिपेण्ड की वसूली भी कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त शोधार्थियों को नियमानुसार स्टार्टिपेण्ड का भुगतान उनके विभाग की उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह किया जायेगा ।


डीन(पीएच.डी.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान् महानिदेशक महोदय, सी.सी.आर.ए.एस., 61-65 सांस्थानिक क्षेत्र, डी ब्लॉक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचनार्थ ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष महोदय ।
3. चिकित्सालय उप-अधीक्षक महोदय को दी जा कर लेख है कि पीएच.डी. प्रवेशार्थियों का मेडिकल करवा कर रिपोर्ट शैक्षणिक शाखा को प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करावें ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/प्रशासनिक अधिकारी/लेखाधिकारी/निजी सहायक निदेशक । प्रवारी आई टी. सेक्टर ।
5. कैशियर (बैंक फण्ड) लेखा शाखा को शुल्क जमा करने हेतु ।
6. संस्थान सूचना पट्ट पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ ।


डीन(पीएच.डी.)